"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017 — श्रावण 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 (श्रावण 11, 1939)

क्रमांक-8074/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) जो बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 13 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, खण्ड (क) में,-

(क) उप-खण्ड (चार) में, पूर्ण विराम चिन्ह (.) के स्थान पर, अर्ध-विराम चिन्ह (;) प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप-खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(पांच) एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्ति;

(छः) कुष्ठ रोग से पीड़ित एवं कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुये व्यक्ति;

(सात) मानसिक रोग से पीड़ित एवं मानसिक रोग से स्वस्थ हुये व्यक्ति;

(आठ) तृतीय लिंग के व्यक्ति;

(नौ) बौना व्यक्ति ।"

उद्देश्य और कारणों का कथन

आवश्यक विचार करने तथा इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये, निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) में संशोधन करना प्रस्तावित है, जिसका लक्ष्य, निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों को समुचित राहत उपलब्ध कराने तथा उनके लिये आवास व्यवस्था एवं अनुरक्षण करने हेतु तथा उससे संबंधित विषयों के लिये, इसे स्थानीय शासन के लिये बाध्य करते हुए, उनकी सहायता करने हेतु उपबंध करना है जिससे समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान तथा उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 27 जुलाई, 2017

रमशीला साहू
समाज कल्याण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) तथा संशोधित अधिनियम 2010 (क्र. सन् 2010) में, धारा 2 में खण्ड (क) में का सुसंगत उद्धरण-

धारा 2 खंड (क)

(एक) वृद्धा तथा शिथिलांग व्यक्ति,

(दो) वे अंधे, या बहरे तथा गूंगे या अन्यथा नि:शक्त हुए व्यक्ति,

(तीन) विधवा या विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) या ऐसी महिलायें जिसने क्रूरता भोगी हो जो स्थानीय क्षेत्र में निवास संबंधी ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों, जैसा कि विहित किया जाये,

(चार) नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चे.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.